न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सीतापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

क्र0/ 200 /वाचक–05/2025 सीतापुर, दिनांक: 26/03/2025

प्रति,

थाना प्रभारी निरीक्षक
थाना – सीतापुर

विषय :– वाहन क्रमांक CG13 AY 6408 को लकड़ी सहित मुक्त करने के संबंध में।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 15/03/2025 को नायब तहसीलदार सीतापुर के द्वारा ग्राम – बमलाया तहसील – सीतापुर में अवैध रूप से नीलगिरी वृक्ष की कटाई कर तथा 90 नग 04 फीट का टुकड़ा ट्रक वाहन वाहन क्रमांक CG13 AY 6408 में लोड करते हुये पाया गया। उक्त लकड़ी लोड़ ट्रक को जप्त कर थाना प्रभारी सीतापुर के सुपुर्दगी में सौंपा जाकर प्रकरण इस न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में भूमिस्वामी बसंत कुमार, मनोज कुमार सिंह आ0 रामेश्वर जाति – कंवर निवासी ग्राम – बमलाया को वृक्षों की कटाई के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार भू–राजस्व संहिता की धारा 253 की उपधारा (1) के तहत 10000/– (दस हजार रूपये मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

भूमिस्वामी द्वारा उक्त राशि चालान के माध्यम से जमा करने पश्चात ट्रक वाहन क्र0 CG13 AY 6408 को लकडी सहित वाहन चालक संजय चौहान पिता शंकर चौहान जाति – चौहान निवासी ग्राम – बोरे तहसील – सारंगढ जिला – सारंगढ (छ0ग0) की सुपुर्दगी में सौंपे जाने का आदेश इस न्यायालय में पारित किया गया है। उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
सीतापुर, सरगुजा (छ0ग0)

CamScanner